


राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(5) ग्रावि/नरेगा/मा.द./09-10

जयपुर, दिनांक:-

**28 APR 2009**

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान अन्तर्गत साप्ताहिक अवकाश के संबंध में।

सन्दर्भ:- विभागीय पत्रांक एफ 4(5) ग्रावि/नरेगा/मा.द./08-09 दिनांक 12.09.08

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत श्रमिकों का साप्ताहिक अवकाश शनिवार को रखा गया था। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ कलेक्टरों द्वारा शनिवार के दिन बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में आधे दिवस का अवकाश होने के कारण योजनान्तर्गत गियोजित श्रमिकों के भुगतान में आ रही समस्याओं की ओर आकृष्ट किया गया था।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि योजनान्तर्गत कार्यरत श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश शनिवार के स्थान पर गुरुवार को रखा जायेगा। इससे योजनान्तर्गत कार्यरत महिलाओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (एम.सी.एच.एन. दिवस) का लाभ उठाने में भी सुविधा होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

कृपया समस्त कार्यकारी संस्थाओं को उपरोक्तानुसार अवगत कराते हुए पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(Signature) 20-4-09

राजेश कुमार राजेन्द्र भाणवाकर  
शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं  
आयुक्त (ईजीएस)

प्रतिलिपि निम्न को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान, समस्त राजस्थान।
2. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस समस्त राजस्थान।
3. जन सम्पर्क निदेशालय को मुख्य समाचार पत्रों में समाचार के रूप में जारी करने हेतु।

(Signature)  
परि निदेशक शासन सचिव(ग्रामो)